न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 19/12 (विविध)

उनवान :–

1. रोहताश पुत्र बोदन
2. रूपचन्द पुत्र बोदन
3. संतराम पुत्र बोदन

जातियान जाट निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:–– अपीलांटस

बनाम

1. वीरसिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह
2. श्योबाई बेवा स्व0 हरिसिंह
3. संतोष बेवा स्व0 श्रीकृष्ण जातियान जाट निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर
4. धर्मचन्द पुत्र स्व0 श्रीकृष्ण
5. प्रिया पुत्री स्व0 श्रीकृष्ण

नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता खुद संतोष पत्नि स्व0 श्रीकृष्ण जातियान जाट निवासीयान ग्राम हरसौली तह0 कोटकासिम

:––– असल रेस्पो0

6. उमराव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अधि... अलवर

Scanned by CamScanner

7. श्रीराम

8. बदलू पुत्रान मन्नाराम जातियान जाट निवासीयान ग्राम ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

9. देशराज

10. गुलजारी पुत्रान गणपत

11. मुकेश

12. वीरसिंह पुत्रान प्रभाती लाल जातियान जाट निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

13. रामोतार

14. रामफल

15. देवीसिंह पुत्रान नन्दराम जातियान जाट निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:—— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक 23.12.2011

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटस :— सुश्री सुषमा शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :— श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 29.11.2016

1. प्रस्तुत अपील उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 12/10 अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम उनवान वीरसिंह वगैरा बनाम उमराव वगैरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधि..., अलवर

Scanned by CamScanner

में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश दिये गये हैं ।

2. विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि प्रार्थीगण असल रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि उनके कौनसे खेत का कितना रकबा हमने अपने कौनसे खेत में मिला लिया है । मौका रिपोर्ट हमारी मौजूदगी में नहीं बनाई गई है । कौनसे मुस्तकिल बिन्दू से नपत की गई, इसका खुलासा मौका रिपोर्ट में नहीं है । बल्कि खसरा नम्बर 700 की पूर्वी दक्षिणी डोल से नपत प्रारम्भ की, जो मुस्तकिल बिन्दू नहीं कहा जा सकता । मात्र खसरा नम्बर 698 की नपत करना कानूनसम्मत नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि उपखंड अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है । उपखंड अधिकारी द्वारा धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णय पारित किया गया है, जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां पोषणीय नहीं है । अतः अपील अधिकारिता में नहीं होने के कारण खारिज की जावे । विद्वान वकील अपने इस तर्क के समर्थन में 1993 आर0 आर0 डी0 पेज 720 की फोटो प्रति पेश की ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही विद्वान वकील असल रेस्पो0 द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत 1993 आर0 आर0 डी0 पेज 720 का अध्ययन किया, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि उपखंड अधिकारी धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है, जिसकी प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक, भू अभिलेख को होगी, राजस्व अपील अधिकारी को उक्त अपील नहीं होगी । चूंकि मौजूदा प्रकरण में उपखंड अधिकारी द्वारा धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र आदेश पारित किया गया है, जिसकी यह अपील उक्त न्यायिक दृष्टांत 1993 आर0 आर0 डी0 पेज 720 में प्रतिपादित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है ।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस अधिकारिता (ज्यूरिसडिक्शन) में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा) 29/11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner